

राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

क्रमांक:- एफ.वी.3()/निगो/गौपनसु/निरीक्षण/2016/

दिनांक:- 23.02.2017

1458-91

जिला संयुक्त निदेशक (समस्त)
उप निदेशक, कुचामनसिटी,
पशुपालन विभाग (राजस्थान)।

विषय:- गौशालाओं से सम्बन्धित विस्तृत सूचना निर्धारित प्रारूप में भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 20.02.2017 को आयोजित मंत्रीमण्डलीय बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार राज्य की समस्त गौशालाओं का डाटाबेस तैयार कर विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त सम्बन्ध में पूर्व में गोपालन निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ.वी. 3()निगो/गौपनसु/निरीक्षण/पीए/608-41 दिनांक 26.07.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 17.08.2016 के द्वारा 37 बिन्दुओं की सूचना भिजवाने हेतु आपको लिखा गया था जिसके संदर्भ में राज्य के समस्त जिलों से लगभग 2200 गौशालाओं में से केवल 927 गौशालाओं की ही सूचना प्राप्त हुई है जिसको गोपालन निदेशालय द्वारा वेब पोर्टल www.gopalan.rajasthan.gov.in में statistics पर अपलोड किया गया है। आपके जिले से प्राप्त उक्त सूचना Excel Sheet में संलग्न है जिसका अवलोकन कर शेष गौशालाओं की सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में Excel Sheet में दिनांक 03.03.2017 से पूर्व गोपालन निदेशालय को ई-मेल (dir.dgs@rajasthan.gov.in) पर भिजवाना सुनिश्चित करे।

आपके जिले से सम्बन्धित गौशालाओं की उक्त सूचना का अपने कार्यालय रिकॉर्ड से मिलान भी करालें तथा यदि कोई सूचना शून्य अंकित हो, त्रुटिपूर्ण या गलत हो तो सुधार कर सही सूचना निर्धारित प्रपत्र में अंकित करते हुए वह भी ई-मेल (dir.dgs@rajasthan.gov.in) पर पृथक से भिजवावे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.01.2017 को सम्पन्न हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में आपको गौशालाओं में संधारित गौवंश रजिस्टर प्रपत्र-5 भी गौशालावार Excel Sheet में तैयार कराकर निदेशालय गोपालन को भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये थे जिसकी तैयारी भी आपके द्वारा प्रारम्भ कर दी गई होगी। यदि उक्त कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया हो तो शीघ्र प्रारम्भ करा पालना सुनिश्चित करे।

संलग्न :- प्रारूप (Excel Sheet).

शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.वी.3()/निगो/गौपनसु/निरीक्षण/2016/

दिनांक:- 23.02.2017

1492-1501

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही करावे।

शासन सचिव

